

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर

// प्रारूप आदेश //

क्रमांक

13/5218 /

जबलपुर, दिनांक 26/09/2017

श्री किसोरी बाधम, सेवानिवृत्त भृत्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर को मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्र सी-3-12/2011/3/एक भोपाल, दिनांक 03.09.2011 के कड़िका 8 में निहित निम्न शर्तों के अधीन उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खंडपीठ ग्वालियर की स्थापना पर सविदा नियुक्ति प्रदान की जाती है -

1. सविदा सेवा में नियुक्ति के लिए अवधि एक वर्ष होगी।
2. सविदा सेवा में प्रतिमाह एकजाई वेतन देय होगा।
3. एकजाई वेतन निर्धारित करने के लिए सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त कुल वेतन में से पेंशन की राशि घटाकर जो राशि आयेगी वह राशि सविदा वेतन के रूप में देय होगी। इस सविदा वेतन पर किसी प्रकार का मंहगाई भत्ता या अन्य भत्ते देय नहीं होंगे।
4. पेंशन प्रथक से प्राप्त करने की पात्रता होगी तथा पेंशन पर देय राहत की पात्रता होगी।
5. सविदा नियुक्ति के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर सविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
6. सविदा नियुक्ति के दौरान शासकीय आवास गृह के आवंटन/अधिपत्य की पात्रता नहीं होगी, उन्हें केवल पात्रतानुसार गृह भाड़ा भत्ता देय होगा। सविदा नियुक्ति के समय यदि उसके नाम से शासकीय आवास आवंटित होगा या अधिपत्य में होगा तो उसे शासकीय आवास रिक्त करने का प्रमाण प्रस्तुत करने पर ही सविदा नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा।
7. अस्थाई शासकीय सेवकों के समान अवकाश की पात्रता होगी।
8. यात्रा भत्ते की पात्रता उसी प्रकार होगी जो कि सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व थी।
9. सविदा नियुक्ति आदेश जारी करने के दिनांक से 45 दिन तक प्रभावशील होगा। इस अवधि में यदि सविदा पर नियुक्त व्यक्ति द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया तो सविदा नियुक्ति का आदेश स्वतः प्रभावशून्य हो जायेगा।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार

sd/-

(मो. फहीम अनवर)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक 13/5219 /
प्रतिलिपि :-


जबलपुर, दिनांक 26/09/2017

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेन्टर, ग्वालियर, (म.प्र.)
2. रजिस्ट्रार, प्रशासन / -कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. रजिस्ट्रार आई.टी. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश की प्रति उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु,
4. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, ग्वालियर,
5. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर / ग्वालियर,
7. ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर.

//2//

9. असिस्टेंट रजिस्ट्रार (ई.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
10. अनुभाग अधिकारी लेखा/बजट/पेंशन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
11. सहायक स्था./सेवापुस्तिका/वेतनपत्रक, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
12. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
13. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय म.प्र.,जबलपुर,
14. श्री किसोरी बाथम, सेवानिवृत्त भृत्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेन्टर, ग्वालियर, (म.प्र.)

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



(अब्देश कुमार खरे)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)